रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 19] नई दिल्ली, मई 6—मई 12, 2018, शनिवार/वैशाख 16—वैशाख 22, 1940

No. 19] NEW DELHI, MAY 6—MAY 12, 2018, SATURDAY/VAISAKHA 16—VAISAKHA 22, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 137.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वेक्टर-ज्ञनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, दिल्ली में सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय वेक्टर-जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, सहायक (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदसंख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड और वेतन या वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सहायक	6* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख',अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (रु. 35400-रु. 112400/-) में स्तर -6

चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धतिः** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स (रु. 25500-रु. 81100/-) के स्तर 4 में के ऐसे उ.श्रे.लि. या उ.श्रे.लि. कम कम्प्यूटर जिन्होंने उस ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो और मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में दो सप्ताह का आज्ञापक प्रशिक्षण पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. उप-महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम देख रहे हों - अध्यक्ष 2. अपर-निदेशक राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम - सदस्य 3. निदेशक (ए एंड वी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 4. डीडीए, पीएच (सीडीएल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य **समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. उप-महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा महा-निदेशालय जो राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम देख रहे हों - अध्यक्ष 2. अपर-निदेशक राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम - सदस्य 3. निदेशक (ए एंड वी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 4. डीडीए, पीएच (सीडीएल), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए-60011/7/2003-पीएच (सीडीएल)/वीबीडी]

विकास शील, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 6th April, 2018

G.S.R. 137.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant at National Vector Borne Disease Control Program, Delhi, in the Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the National Vector Borne Disease Control Program, Assistant (Group 'B' Non-Gazetted Post) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, level in the pay matrix or pay scale.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**..—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving**.—Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix or pay scale
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant	6* (2018) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400-Rs.112400/-).

Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made
(11)
Promotion: UDC or UDC-cum-Computer in level-4 of the pay matrix (Rs.25500-Rs.81100/-) with ten years regular service in the grade and have completed two weeks mandatory training in relevant area from the institute recognised by the Ministry. **Note:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service

If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which union public service commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Director General, Directorate General of Health Services looking after Directorate of National Vector Borne Disease Control Program, Ministry of Health and Family Welfare -Chairman 2. Additional Director, Directorate of National Vector Borne Disease Control Program - Member 3. Director (A&V), Directorate General of Health Services – Member 4. Deputy Director Administration, PH (CDL), Directorate General of Health Services - Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** 1. Deputy Director General, Directorate General of Health Services looking after Directorate of National Vector Borne Disease Control Program, Ministry of Health and Family Welfare - Chairman 2. Additional Director, Directorate of National Vector Borne Disease Control Program – Member 3. Director (A&V) Directorate General of Health Services – Member 4. Deputy Director Administration, PH (CDL), Directorate General of Health Services - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-60011/7/2003-PH(CDL)/VBD]

VIKAS SHEEL, Jt. Secy.

जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 138.— राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, प्रशासनिक और लेखा सेवाएं, जयेष्ठ हिंदी अनुवादक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, प्रशासनिक और लेखा सेवाएं, जयेष्ठ हिंदी अनुवादक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, प्रशासनिक और लेखा सेवाएं, जयेष्ठ हिंदी अनुवादक और कनिष्ठ हिंदी अनुवादक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है)

I. नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं" ;

II. उक्त नियमों की अनुसूची के स्तंभ (4) में, -

(क) जयेष्ठ हिंदी अनुवादक पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) के, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखीं जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(4)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400/-रुपए)**",**

(ii) स्तंभ (11) के,- "टिप्पण 2" का लोप किया जाएगा;

(ख) कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद से संबंधित क्रम संख्या 1 के सामने,-

(i) स्तंभ (4) के, स्तंभ शीर्षक और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित स्तंभ शीर्षक और प्रविष्टियां रखीं जाएंगी, अर्थात्:-

"वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400/-रुपए)"

(ii) स्तंभ (10) के "वेतन बैंड - 1 (रुपये 5200-20200)+ग्रेड वेतन 2800/- रुपये" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 5 (29200-92300 रुपये)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएँगे;

[फा. सं. ए-12018/36/2017-ई-II]

अमित कुमार सिंह, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र**,** भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) तारीख 02 जून, 2012 में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 131, तारीख 25 मई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 27th April, 2018

G.S.R. 138.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative and Accounts Services, Senior Hindi Translator and Junior Hindi Translator, Group 'B' Post Recruitment Rules 2012, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative and Accounts Services, Senior Hindi Translator and Junior Hindi Translator Group 'B' posts Recruitment (Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Water Resources, Central Water and Power Research Station, Pune, Administrative and Accounts Services, Senior Hindi Translator and Junior Hindi Translator, Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2012,-

I. for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and Level in Pay Matrix.—The number of the said post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.";

II. In the Schedule,-

(a) against serial number 1 relating to the post of Senior Hindi Translator,-

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely: -

"Level in pay matrix
(4)
Level -7 (Rs. 44900-142400) in the pay matrix.";

(ii) in column (11), Note 2 shall be omitted;

(b) against serial number 1 relating to the post of Junior Hindi Translator,-

(i) in column (4), for the entries, the following entries shall be substituted, namely: -

"Level -6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.";

(ii) in column (10), for the words and figures "pay band -1 Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800", the words, figures and brackets "Level –5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix" shall be substituted.

[F. No. A-12018/36/2017-E-II]

AMIT KUMAR SINGH, Under Secy.

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section3, Sub-section (i) dated the 2nd June, 2012, vide notification number G.S.R. 131, dated the 25th May, 2012.

नई दिल्ली, 3 मई, 2018

सा.का.नि. 139.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सहायक वेधक-सह-मेकैनिक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2009 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रांत से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में सहायक वेधक-सह-मेकैनिक (अतिकुशल श्रेणी-I) और सहायक वेधक-सह-मेकैनिक (अतिकुशल श्रेणी-II), समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड,सहायक वेधक-सह-मेकेनिक (अतिकुशल श्रेणी-I) और सहायक वेधक-सह-मेकैनिक (अतिकुशल श्रेणी-II), समूह 'ग', भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ में (5) से (13) विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्त .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सहायक वेधक-सह-मेकैनिक (अतिकुशल श्रेणी-I)	159* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनतुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (रु. 29200)

चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500 रु.) में ऐसे सहायक वेधक-सह-मेकेनिक (अतिकुशल ग्रेड-2) की श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर ली हो। **प्रशिक्षण:** राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर या कोई अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान पर जल कूप सन्निर्माण तकनीकी और उपस्कर स्तर 1 पर चार सप्ताह का प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -अध्यक्ष 2. अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड -सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
2. सहायक वेधक-सह-मैकैनिक (अतिकुशल श्रेणी-II)	159* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

(4)	(5)	(6)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500)	चयन	18 से 27 वर्ष तक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों/ अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

		टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। **टिप्पण 2 :** उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जानी है आयु-सीमा अवाधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)
आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (ii) वेल्डिंग/डीजल मैकेनिक/मोटर मैकेनिक/ फिटर में मान्यता प्राप्त संस्थान से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र रखता हो। (iii) किसी राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार संगठन या उपक्रम या स्थानीय निकाय या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जल कूप वेधन मशीन में दो वर्ष का अनुभव हो। **वांछनीय** : किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मैकेनिकल या आटोमोबाइल या वेधन या खान या पैट्रोलियम इंजीनियरी में डिप्लोमा। **टिप्पण:** अर्हताएँ, उन कारणों के लिए जो अभिलिखित किए जाए, केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। अनुसूचित जतियों और अनुसूचित जनजतियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
प्रोन्नति : (i) 95 प्रतिशत पद ऐसे तकनीकी प्रचालकों (वेधन) वेतन मैट्रिक्स स्तर 2 (19,900 रु.) में से जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, जो जल कूप वेधन मशीन के रख रखाव में पाँच वर्ष का अनुभव रखता हो। (ii) पाँच प्रतिशत पद ऐसे लुहार जो स्तर -2 (19,900 रु.) में उस श्रेणी में 8 वर्ष की सेवा की हो जो निवारण सामाग्री के आवधिक रखरखाव, सहबद्ध उपस्कर, संधान, वायू संपीडक का प्रचालक, जलकूप पंप और यान में ज्ञान के आकलन, वेधन प्रचालन के संचालन में व्यवसाय परीक्षण की अर्हता के अधीन वेधन सामाग्री के प्राचलन और रखरखाव में एक वर्ष का अनुभव रखते हो जिसके नहीं हो सकने पर ऐसे तकनीकी ऑपरेटर (वेधन) में से भरी जाएगी। जल कूप वेधन मशीन में रखरखाव के पाँच वर्ष के अनुभव के साथ जिन्होने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। **प्रशिक्षण:** राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर या कोई अन्य राष्ट्रीय स्तर के संस्थान पर जल कूप सन्निर्माण तकनीकी और उपस्कर स्तर 1 पर चार सप्ताह का प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमे निम्नलिखित होंगे: 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड अध्यक्ष 2. अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड सदस्य **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:** 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड अध्यक्ष 2. अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 230/3/2014-सीजीडबल्यूबी]

ए. के. वाही, अवर सचिव

New Delhi the 3rd May, 2018

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, the Central Ground Water Board, Assistant Driller-cum-Mechanic, Group 'C' post, Recruitment Rules, 2009, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Driller-cum-Mechanic (Highly Skilled Grade-I) and Assistant Driller-cum-Mechanic (Highly Skilled Grade-II) Group 'C' posts in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Assistant Driller-cum-Mechanic (Highly Skilled Grade-I) and Assistant Driller-cum-Mechanic (Highly Skilled Grade-II)Group 'C' posts Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in Pay Matrix.—**The number of the said posts, their classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	LEVEL in the PAY MATRIX.	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Assistant Driller-cum-Mechanic (Highly Skilled Grade-I).	159* (2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29200) in the pay matrix	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption grade from which promotion / deputation / absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: On completion of five years regular service in the grade of Assistant Driller-cum-Mechanic (Highly Skilled Grade-II) in Level-4 (Rs.25,500) in the pay matrix. **Training:** Four weeks' Induction Level Training on Water Well construction techniques and equipment Level-I at National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other national level institute.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of:** 1. Director (Administration), CGWB – Chairman 2. Superintending Engineer, CGWB - Member 3. Administrative Officer, CGWB –Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Assistant Driller-cum-Mechanic (Highly Skilled Grade-II).	159*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'C'), Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs.25,500) in the pay matrix.	Selection

(6)	(7)
Upto 27 years. (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). **Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,Nagaland,	**Essential:** (i) Matriculation from recognised Board. (ii) Having an Industrial Training Institute Certificate from a recognised Institute in Welding, Diesel Mechanic / Motor Mechanic / Fitter; (iii) Having two years experience in water well drilling

Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** The crucial date for determining the age limit, in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names. .	machines in any State Government or Central Government Organizations or Undertaking or any local body or any Private Limited Company. **Desirable:** Diploma in Mechanical or Automobile or Drilling or Mining or Petroleum Engineering from a recognised Institute. **Note :**The qualification(s) regarding experience is/are relexable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

(8)	(9)	(10)
No.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
<u>Promotion:</u> (i) Ninty-five per cent posts from Technical Operator (Drilling) in Level-2 (Rs.19,900) in the pay matrix with eight years regular service in the grade, having five years experience in maintenance of water well drilling machines. (ii) Five per cent posts from Blacksmith in Level-2 (Rs.19,900) with eight years regular service in the grade having one year experience in operation and maintenance of drilling rigs subject to qualifying the trade test in handling of drilling operation, assessing the knowledge in prevention, periodical maintenance of rigs, allied equipment, welding, operation of air compressors, water well pumps and vehicles failing which from amongst the Technical Operator (Drilling) with eight years regular service in the grade, having five years experience in maintenance of water well drilling machines. **Training:** Four weeks Induction Level Training on Water Well construction techniques and equipment Level-I at National Ground Water Training and Research Institute, Raipur or any other national level institute.	**Group 'C' Departmental Promotion Committee, consisting of:-** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman. 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board - Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board –Member **Group 'C' Departmental Confirmation Committee consisting of:—** 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. Superintending Engineer, Central Ground Water Board - Member 3. Administrative Officer, Central Ground Water Board. –Member	Not applicable.

[F. No. 23/03/2014-CGWB]

A. K. WAHI, Under Secy.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 2 मई, 2018

सा. का. नि. 140.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं उप निदेशक (प्रशासन), वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता भर्ती नियम 1986 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी चीजों या करने से छूट गयी चीजों के सिवाय, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में उप निदेशक (प्रशासन) के पद के भर्ती नियम को अधिनियमित करते हुये एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामत:

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—इन नियमों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय का कार्यालय, उप निदेशक (प्रशासन) वर्ग 'क' (राजपत्रित पद) भर्ती नियम 2018 कहा जाय।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनसे सम्बद्ध स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता इत्यादि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा उससे सम्बंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट की जायेगीं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति

(अ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ब) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुये किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के वाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगे।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
उप निदेशक (प्रशासन)	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा वर्ग 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय।	स्तर -11 (रु. 67,700/- रु. 2,08,700/-)

चयन पद अथवा अ-चयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु -सीमा	सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं।
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु तथा अन्य शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नतों के मामले में लागू होगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ समावेशन तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा भर्ती के मामले में ग्रेड जिससे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/ समावेशन किया जाना है।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) : केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्धशासी अथवा सांविधिक या स्वायत्तशासी संगठनों के अधिकारी । (क) (i) मूल संवर्ग में सदृश पदधारी ; अथवा (ii) वेतन मैट्रिक्स (रु. 56,100 – 1,77,500/-) में स्तर-10 में नियमित आधार पर पांच वर्ष की सेवा अथवा समकक्ष; अथवा (iii) वेतन मैट्रिक्स (रु. 47,600 – 1,51,100/-) में स्तर-8 में नियमित आधार पर छह वर्ष की सेवा अथवा समकक्ष; एवम् (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक उपाधि । (ii) प्रशासन, स्थापना एवं लेखा मामलों का पांच वर्ष का अनुभव । **टिप्पणी 1 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि साधारणत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पणी 2 :** प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो संरचना क्या है ?	परिस्थितियां जिनके तहत भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
लागू नहीं	प्रत्येक बार चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जायेगा।

[फा. सं. 5(1)/2012-स्था.–I/625]

बिपद भंजन पाल, उप महानिदेशक/विभागाध्यक्ष

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

New Delhi, the 2nd May, 2018

G.S.R. 140.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Deputy Director (Administration), Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta Recruitment Rules, 1986, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director (Administration) in the Office of the Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, namely:-

(1) **Short Title and Commencement**.—(1)These rules may be called the Ministry of Commerce and Industry, Office of the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Deputy Director (Administration) Group 'A' (Gazetted post) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) **Number of posts, classification and level in the pay matrix.—**The number of the said posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

(3) **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

(4) **Disqualification..—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall not be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rules.

(5) **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

(6) **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation to age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	No. of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Deputy Director (Administration).	1 * (2018) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Ministerial.	Level 11 (Rs. 67,700 – 2, 08, 700/-)

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	By Deputation (Including Short Term Contract).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(11)
Deputation (Including Short Term Contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Universities or Recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings/ Semi-Government or Statutory or autonomous organisations. (A) (i) holding analogous post in the respective grade; or (ii) Five years regular service in level 10 in the Pay Matrix (Rs. 56,100 - 1,77,500/-) or equivalent; or (iii) Six years regular service in level 8 in the Pay Matrix (Rs. 47,600 – 1,51,100/-) or equivalent; and (B) Possessing the following educational qualification and experience: (i) Degree from a recognised university or institute. (ii) Having Five years experience in administration, establishment and accounts matters. **Note 1:** Period of deputation (including short term contract) including the period of deputation ((including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed four years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists what is the composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted to making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Selection on each occasion shall be made in consultation with Union Public Service Commission.

[F. No. 5(1)/2012-Estt.-I/625]

BIPAD BHANJAN PAL, Dy. Director General / Head of the Department

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.05.21 10:00:53 +05'30'